वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 22] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 2 जून, 2017-ज्येष्ठ 12, शके 1939

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

CHANGE OF NAME

All public is informed by this notification that my son Avi Jain, previously known as Aryan Jain. But this Aadhar Card & Bank Account *etc.* are in his new and correct name Avi Jain. So, Now onwards he is known for all purpose as Avi Jain.

Aditya Jain
Present Address.-Daga Bhawan,
3 M.L.B. Road, Gwalior.

(128-B.)

CHANGE OF SURNAME

Notice is hereby given for public information that after the marrige, my name has been changed from Miss Sujata Panjwani daughter of Shri Namdev Panjwani to Sujata Arora/Devika Arora as from 15-05-1989. This is to request that, I be known now only as Smt. Sujata Arora.

Old Name:

(MISS SUJATA PANJWANI)

New Name :

(SUJATA ARORA)
Devika Arora

(132-B.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण एवं फर्म मेसर्स श्री कृष्णा कमर्सियल कंपनी, बाम्बे बाजार, खण्डवा, मध्यप्रदेश-450001 पंजीयन क्रमांक (03/32/01/00263/12) से संबंधित समस्त व्यवहारियों को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि दिनांक 1-4-2009 को उक्त साझेदारी फर्म से 1. श्री गणेशलाल अग्रवाल पिता श्री बाबूलाल अग्रवाल, पता-गोल बाजार, खण्डवा, मध्यप्रदेश-450001, 2. श्रीमति गीतादेवी अग्रवाल पति

श्री गणेशलाल अग्रवाल, पता-गोल बाजार, खण्डवा, मध्यप्रदेश-450001 एवं 3. विक्रम एलियास वरूण कुमार पिता श्री गणेशलाल अग्रवाल, पता-गोल बाजार, खण्डवा, मध्यप्रदेश-450001 साझेदारी से निवृत्त हुए. भविष्य में फर्म से संबंधित किसी भी प्रकार के लेन-देन या अन्य कार्यों से इनका कोई लेन-देन नहीं रहेगा. यह सूचनार्थ है कि उक्त दिनांक से फर्म में केवल 1. श्री शैलेन्द्र अग्रवाल, 2. श्रीमति अनुपमादेवी अग्रवाल उक्त साझेदारी फर्म में भागीदारी है. अतदर्थ सूचनार्थ प्रकाशित.

वास्ते-श्री कृष्णा कमर्सियल कंपनी,
शैलेंद्र अग्रवाल,
(पार्टनर).
बाम्बे बाजार, खण्डवा, मध्यप्रदेश-450001.

(127-बी.)

जाहिर सूचना

फर्म निमाड़ सेल्स कार्पोरेशन, खण्डवा का रजिस्ट्रार ऑफ फर्म का पंजीयन क्र. 309/71-72 है. दिनांक 01-04-2017 से श्री निखित हूमड़ पिता उमेशचंद हूमड एवं श्रीमती सुशीता हूमड़ पति उमेशचंद हूमड़ फर्म से पृथक् होंगे. फर्म में श्री अतुल हूमड़ पिता उमेशचंद हूमड़ एकमात्र प्रोपराइटर रहेंगे.

निमाड़ सेल्स कार्पोरेशन,
अतुल,
(भागीदार),
टाऊनहाल के पीछे, कल्लनगंज, खण्डवा.

(129-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स गर्ग इलेक्ट्रिक वर्क्स स्थित दौलतगंज, लश्कर, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. 249, दिनांक 29-06-1989 है. जिसमें दिनांक 16-02-2017 को भागीदार श्री गोपालदास गर्ग का स्वर्गवास हो जाने से फर्म से पृथक् हो गये हैं एवं दिनांक 17-02-2017 से श्रीमती वर्षा गर्ग पत्नि श्री कल्पेश गर्ग, निवासी दौलतगंज, लश्कर, ग्वालियर फर्म में नवीन साझेदार के रूप में सम्मिलित हो गई हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

मेसर्स गर्ग इलेक्ट्रिक वर्क्स,
मंजू गर्ग,
(भागीदार),
दौलतगंज, लश्कर, ग्वालियर.

(130-बी.)

Notice U/s 72 of the Indian Partnership Act, 1932

Notice is hereby given for public information that Miss Sarita Sachdev D/o Late Shri Sawanmal Sachdev retired from the partnership business of the firm named M/s. Kundanmal Sugnomal, 3/2, Malharganj, Indore (M.P.) *vide* Registration No. 1339/69-70, dated 14-11-1969 year 1969-70 as from 01/04/2017 and the constitution of the firm stands altered accordingly.

for M/s. Kundanmal Sugnomal,,
CHANDAN SACHDEV,
(Partner).

(131-B.)

विविध

निविदा सूचनाएं

निविदा सूचना

भोपाल, दिनांक 23 मई, 2017

क्र. जी. बी./दो(19)2017/1119.-31 जिला कार्यालयों को संलग्न सूची अनुसार (ILA 9,10,12,13,14 एवं 15 के निर्धारित तकनीकी विवरण अनुसार पेपर सहित मल्टीकलर प्रिंटिंग, पैकिंग, परिवहन एवं अन्य समस्त कर सहित प्रदाय करने के इच्छुक प्रिन्टरों/निविदाकारों से आईटी डिपार्टमेंट की वेबसाइट **https://mpeproc.gov.in** से ऑनलाईन निविदाएं दिनांक 09 जून, 2017 अपरान्ह 2.00 तक की-डेट्स अनुसार आमंत्रित की जाती हैं.

2. ऑनलाईन तकनीकी निविदा की हार्ड कॉपी, पेपर नमूनें अभिप्रमाणित हस्ताक्षर सहित, शर्तों पर सहमति हस्ताक्षर सहित की-डेट्स अनुसार कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा. ऑनलाईन तकनीकी भाग को दिनांक 09 जून, 2017 को अपरान्ह 3.30 बजे उपस्थित निविदाकारों/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष पोर्टल से डाउनलोड किया जावेगा एवं हार्ड कॉपी के प्रस्तुत दस्तावेजों को खोला जावेगा.

3. किसी भी प्रकार का संशोधन/सुधार/परिवर्तन होने की सूचना **https://mpeproc.gov.in & www.govtpressmp.nic.in** पर उपलब्ध रहेगी.

(1274)

Bhopal, Dated 23rd May, 2017

TENDER NOTICE

No. GB-II/(19) 2017.–ONLINE Bids are invited through IT Department website **https://mpeproc.gov.in** from the interested Printers/tenderers for printing and supply of ILA A/3 Sheet 9, 10, 12, 13, 14, 15 as per mentioned in technical details including Paper, Multicolour Printing, folding, Packing, Transportation and Other Charges (inclusive all taxes) for supply at 31 District Headquarters (As per List Enclosed) are invited on or before Dated 09th June, 2017 at 2.00 PM as per key dates.

2. Hard Copy of the Bid Documents complete in all respects, alongwith Technical tender document, certified Paper Sample, acceptation of tender condition must be received at the office of the undersigned as per key dates. Envelopes of Hard Copy and Online Technical Parts will be open on 09th June, 2017 at 3.30 PM in the Office of the undersigned in the presence of such tenderers or their authorised representatives as may be present.

3. All corrigendum/amendments/changes, if any will only be issued and made available only on Website **https://mpeproc.gov.in & www.govtpressmp.nic.in**

(1274-A)

ई-निविदा सूचना

भोपाल, दिनांक 23 मई, 2017

क्र. जी. बी./दो(36)2017/1118.–आईटी विभाग की वेबसाईट **https://mpeproc.gov.in** से कम्प्यूटर स्टेशनरी की सामग्री (तकनीकी विवरण अनुसार) के मुद्रण कार्य हेतु जो इंडियन बैंक एसोसियेशन (IBA) में गोपनीय कार्य हेतु जीवित पंजीकृत हैं, से पेपर सहित मुद्रण, बंधन, परिवहन एवं अन्य कार्य की समस्त कर सहित दरें दिनांक 08 जून, 2017 अपरान्ह 2.00 बजे तक की-डेट्स अनुसार आमंत्रित की जाती है.

2. ऑनलाईन तकनीकी निविदा की हार्ड कॉपी, पेपर नमूनें अभिप्रमाणित हस्ताक्षर सहित, शर्तों पर सहमति हस्ताक्षर सहित की-डेट्स अनुसार कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा. ऑनलाईन तकनीकी भाग को दिनांक 08 जून, 2017 को अपरान्ह 3.30 बजे उपस्थित निविदाकारों/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष पोर्टल से डाउनलोड किया जावेगा एवं हार्ड कॉपी के प्रस्तुत दस्तावेजों को खोला जावेगा.

3. किसी भी प्रकार का संशोधन/सुधार/परिवर्तन होने की सूचना **https://mpeproc.gov.in** एवं **www.govtpressmp.nic.in** पर उपलब्ध रहेगी.

(1275)

Bhopal, Dated 23rd May, 2017

E-TENDER NOTICE

No. GB-II//(36)/2017.—ONLINE Bidding are invited on **https://mpeproc.gov.in** from the Registered Printers for confidential Printing work of Indian Bank Association (IBA) who have for Printing of Computer Stationery (as per technical details) including Paper, Printing, Transportation, all taxes and other charges Each Set are invited on or before 2.00 PM on 08th June, 2017 as per key dates.

2. Hard Copy of the Bid Documents complete in all respects, alongwith Technical tender document, certified Paper Sample, acceptation of tender condition must be received at the office of the undersigned as per key dates. Envelopes of Hard Copy and Online Technical Parts will be open on 08th June, 2017 at 3.30 PM in the Office of the undersigned in the presence of such tenderers or their authorised representatives as may be present.

3. All corrigendum/amendments/changes, if any will only be issued and made available only on Website **https://mpeproc.gov.in & www.govtpressmp.nic.in**

RAJESH KAUL,
Controller,
Govt. Printing and Stationery,
M.P., Bhopal.

(1275-A)

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, राजपुर, जिला बड़वानी

रा.प्र.क्र. 2/बी-113/2016-17. **फार्म नं.-चार**

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट रूल्स-5(1) के अन्तर्गत]

अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, राजपुर के समक्ष.

आवेदक गोपाल पिता रूपाजी परिहार, निवासी मोयदा, तहसील राजपुर, अध्यक्ष, माँ गायत्री गौशाला ग्राम मोयदा द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत माँ गायत्री गौशाला, मोयदा के न्यास को सार्वजनिक न्यास के अन्तर्गत पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

उक्त पंजीयन के संबंध में जिस किसी को कोई आपत्ति हो तो वह नोटिस के प्रकाशन के एक माह की अवधि के भीतर दो प्रतियों में मेरे समक्ष या तो स्वयं या अधिकृत व्यक्ति अथवा जरिये अभिभाषक के न्यायालयीन समय में प्रस्तुत करे. नियत समयावधि के बाद प्रस्तुत किये जाने वाले सुझाव अथवा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

आज दिनांक 11 मई, 2017 को मेरे समक्ष एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(1260)

रा.प्र.क्र. 3/बी-113/2016-17 **फार्म नं.-चार**

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट रूल्स-5(1) के अन्तर्गत]

अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, राजपुर के समक्ष

आवेदक तेजिन्दरसिंग पिता सबरूपसिंह, निवासी 118, भगतसिंह कॉलोनी, अंधेरी ईस्ट 59, मुम्बई, अध्यक्ष, म. प्र. गुरूद्वारा वेलफेयर ट्रस्ट, उमरिया द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश गुरूद्वारा वेलफेयर ट्रस्ट, उमरिया के न्यास को सार्वजनिक न्यास के अन्तर्गत पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

उक्त पंजीयन के संबंध में जिस किसी को कोई आपत्ति हो तो वह नोटिस के प्रकाशन के एक माह की अवधि के भीतर दो प्रतियों में मेरे समक्ष या तो स्वयं या अधिकृत व्यक्ति अथवा जरिये अभिभाषक के न्यायालयीन समय में प्रस्तुत करे. नियत समयावधि के बाद प्रस्तुत किये जाने वाले सुझाव अथवा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

आज दिनांक 11 मई, 2017 को मेरे समक्ष एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

बी. एस. कलेश,
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

(1261)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं पंजीयक, लोक न्यास, खरगौन

प्र. क्र. 04/बी-113 (1)/2016-17. प्रो. क्र. 145/16-17.

फार्म-4

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 (क्रमांक 30-1951) की धारा-5 (2) एवं मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट रूल्स-1952 के नियम-5 (1) के अंतर्गत]

समक्ष-पंजीयक लोक न्यास-खरगौन.

चूँकि प्रार्थी मुख्य ट्रस्टी, "महाराणा प्रताप न्यास खरगौन" द्वारा ट्रस्ट के पंजीयन हेतु पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (क्रमांक 30-1951) की धारा-4 के अंतर्गत निम्न अनुसूची में दर्शित चल-अचल सम्पत्ति हेतु आवेदन-पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र इस न्यायालय में विचार किया जावेगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट अथवा सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सलाह प्रस्तुत करना चाहता हो, वह इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के अन्दर दो प्रतियों में लिखित में मेरे समक्ष स्वयं अथवा अपने वैध प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करें तथा उपस्थित रहें. निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

अ. क्र.	नाम वस्तु	विवरण	वजन तथा नग
01	चल सम्पत्ति	निरंक	-
02	अचल सम्पत्ति	निरंक	-

महेन्द्रसिंह कवचे,

(1262) अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास, नीमच

प्रारूप-चार

[नियम-5(1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा-5, उपधारा-2 और म. प्र. लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिए]

चूंकि श्रीमती दुर्गा शर्मा पति डॉ. विनोद कुमार शर्मा भृगु ज्योतिश गृह, सिटी रोड, नीमच, जिला नीचम (म. प्र.) द्वारा म. प्र. लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया गया है.

एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 15 जून, 2017 को विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझावा देने का विचार रखता हो उसे इस विज्ञप्ति के द्वारा सूचना दी जाती है.

अतः मैं, आदित्य शर्मा, पंजीयक, लोक न्यास, नीमच, म. प्र. का लोक न्यासों का पंजीयन अपने न्यायालय में दिनांक 15 जून, 2017 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा-(1) के द्वारा तथा अपेक्षित जांच प्रस्तावित करता हूं.

अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के अंदर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और न्यायालय के समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

1.	लोक न्यास का नाम व पता	:	"आयआयटीयन इंजीनियर छबिल शर्मा मेमोरियल ट्रस्ट, नीमच". भृगु ज्योतिश गृह, सिटी रोड, नीमच, जिला नीचम (म. प्र.)
2.	अचल सम्पत्ति	:	निरंक
2.	चल सम्पत्ति	:	रु. 10,000/-(अक्षरी रुपये दस हजार मात्र)

आदित्य शर्मा,

(1263) पंजीयक.

न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी, भाण्डेर, जिला दतिया

(प्रारूप क्रमांक-4)

[देखिये नियम-5 (1)]

प्र. क्र./53/बी-121/2016-17.

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) के द्वारा]

लोक न्यास के पंजीयक, तहसील भाण्डेर, जिला दतिया के समक्ष.

जैसा कि आवेदक सूरज सिंह यादव पुत्र पूरन सिंह यादव, निवासी ग्राम धमना, तहसील भाण्डेर, जिला दतिया ने लोक न्यास

अधिनियम, 1959 धारा-4 के अंतर्गत एक आवेदन अनुसूची में निर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा सूचना-पत्र जारी किया जाता है कि कथित आवेदन-पत्र दिनांक 26 मई, 2017 को 11 बजे मेरे न्यायालय में विचार में लिया जायेगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना होगा और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः या प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा.

"अनुसूची"

(न्यास का नाम, पता व सम्पत्ति का विवरण)

न्यास का नाम व पता	:	प्राचीन शिवशक्ति मंदिर ट्रस्ट, ग्राम धमना, तहसील भाण्डेर, जिला दतिया.
संपत्ति का विवरण	:	ग्राम धमना, तहसील भाण्डेर, जिला दतिया में स्थित चबूतरा जिस पर विराजमान भगवान शंकर की मूर्ति तथा उससे लगी हुई खुली भूमि.
चल सम्पत्ति	:	पूजा के बर्तन व अन्य सामग्री कीमती 10,000/- रुपये 21,000/- रुपया नगद प्रबंधक ट्रस्ट के पास.
न्यासीगण के नाम-	:	सूरजसिंह पुत्र पूरनसिंह यादव, निवासी ग्राम धमना, तहसील भाण्डेर, जिला दतिया, प्रबंधक न्यासी.
		हुकुम सिंह पुत्र बल्लूसिंह, निवासी धमना, तहसील भाण्डेर, जिला दतिया, म. प्र.
		प्रदीप यादव पुत्र वीरसिंह यादव, निवासी धमना, तहसील भाण्डेर, जिला दतिया, म. प्र.
		दिलीप यादव पुत्र राजकुमार यादव, निवासी धमना, तहसील भाण्डेर, जिला दतिया, म. प्र.

आर. के. वंशकार,
पंजीयक.

(1264)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, खण्डवा, जिला खण्डवा

प्र.क्र. 01/बी-113(1)/2016-17

प्रारूप-चार

दिनांक 05 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5(2) एवं मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) के अंतर्गत]

जैसा कि श्री उमाशंकर पिता बाबूलाल पटेल, निवासी बरूड ने अनुसूची में दर्शित न्यास/संपत्ति को सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीयन करने हेतु मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है. एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन पत्र पर मेरे द्वारा न्यायालय में दिनांक 26 मई, 2017 को विचार किया जायेगा.

2. उक्त ट्रस्ट के कार्य अथवा संपत्ति से कोई व्यक्ति यदि हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के एक माह के भीतर लिखित विवरण दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है. और वह स्वयं अथवा अधिवक्ता/अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित हो सकता है. समयावधि के समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा.

अनुसूची

1. सार्वजनिक न्यास का नाम एवं पता	:	नव चेतना गायत्री केन्द्र बरूड, तहसील एवं जिला खण्डवा,
2. चल संपत्ति	:	5,000/- नगदी
3. अचल संपत्ति	:	ग्राम बरूड, तहसील खण्डवा स्थित भूमि खसरा नंबर 2097/3 रकबा 0.10 हेक्टेयर (अनुमानित कीमत एक लाख रुपये) इस भूमि पर नव चेतना केन्द्र निर्माण प्रस्तावित है.

शाश्वत शर्मा,
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

(1265)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, अनुविभाग-पुनासा, जिला खण्डवा

प्र.क्र. /बी-113(1)/2012-13.

प्रारूप-चार

दिनांक 26 अप्रैल, 2017

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5(2) एवं मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) के अंतर्गत]

जैसा कि आवेदक हुकुमचंद वर्मा, अध्यक्ष अखिल भारतीय विश्वकर्मा पांचाल मंदिर एवं धर्मशाला द्वारा आवेदक ट्रस्ट अखिल भारतीय विश्वकर्मा पांचाल मंदिर एवं धर्मशाला ट्रस्ट, ओंकारेश्वर, जिला पूर्व निमाड़ की ओर से कार्यकारी न्यासी श्री हुकुमचंद वर्मा पांचाल, अध्यक्ष ने मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-4 के तहत आवेदन पत्र पेश कर उक्त ट्रस्ट के पंजीयन हेतु निवेदन किया गया. आवेदक ने अनुसूची में दर्शित न्यास/संपत्ति को सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीयन करने हेतु मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है. एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन पत्र पर मेरे द्वारा न्यायालय में दिनांक 16 मई, 2017 को विचार किया जायेगा.

2. उक्त ट्रस्ट के कार्य अथवा संपत्ति से कोई व्यक्ति यदि हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के एक माह के भीतर लिखित विवरण दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है. और वह स्वयं अथवा अधिवक्ता/अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित हो सकता है. समयावधि के समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा.

अनुसूची

1. सार्वजनिक न्यास का नाम एवं पता	:	अखिल भारतीय विश्वकर्मा पांचाल मंदिर एवं धर्मशाला ट्रस्ट ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर, जिला पूर्व निमाड़, खण्डवा,
2. चल संपत्ति	:	1. रुपये 2,000/- नगद
3. अचल संपत्ति	:	1. ख. नं. 2/3 रकबा 0.600 वर्गफीट प्लाट 2. आबादी में 60 बाय 100 फिट का प्लाट 3. 109 बाय 430 का आर.सी.सी. भवन धर्मशाला

शीतला पटले,
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

(1266)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, शहडोल

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (1) सी/ग के अन्तर्गत]

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल, जिला शहडोल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	मछुआ सहकारी समिति मर्या., चंदेला	771/30-03-1984	1107/31-12-2016
2.	जलक्षेत्र मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., रामपुर	817/24-04-2000	1108/31-12-2016
3.	आदर्श कत्था उद्योग सहकारी समिति मर्या., ब्यौहारी	635/17-06-1990	1109/31-12-2016

उक्त सहकारी संस्थाओं का पूर्व परिसमापक/अध्यक्ष/सचिव से मुझे किसी भी प्रकार का रिकार्ड, दस्तावेज आदि का प्रभार प्राप्त नहीं हुआ है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57(1) सी/ग के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा

सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दो माह के अन्दर मय-प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था के लेखा-पुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे तथा संस्था के समस्त देनदारी/लेनदारी/आस्तियों का अन्तिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 09 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गयी.

डी. आर. सिंह,
वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(1267)

कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, शहडोल

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (1) सी/ग के अन्तर्गत]

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल, जिला शहडोल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	जय लक्ष्मी माँ दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मसियारी	1150/04-08-2015	1102/31-12-2016
2.	धनन्जय दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कुबरा	1152/04-08-2015	1104/31-12-2016
3.	गंगा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चितरांव	1151/04-08-2015	1103/31-12-2016
4.	गंगोत्री दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रिमार	1149/04-08-2015	1101/31-12-2016
5.	कान्हा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., लपरी	1148/04-08-2015	1100/31-12-2016

उक्त सहकारी संस्थाओं का पूर्व परिसमापक/अध्यक्ष/सचिव से मुझे किसी भी प्रकार का रिकार्ड, दस्तावेज आदि का प्रभार प्राप्त नहीं हुआ है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57(1) सी/ग के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दो माह के अन्दर मय-प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था के लेखा-पुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे तथा संस्था के समस्त देनदारी/लेनदारी/आस्तियों का अन्तिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 10 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गयी.

अजय दुबे,
उप-अंकेक्षक एवं परिसमापक.

(1267-A)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद

होशंगाबाद, दिनांक 06 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1192.—माँ रेवा उन्नत बीज उत्पादक समिति, सांगाखेडाकलां, पंजीयन क्र. 3229, दिनांक 17 जून, 2015 को कार्यालय के पत्र क्र./परि./2017/299, दिनांक 04 फरवरी, 2017 द्वारा निम्नलिखित कारणों से धारा-69 (3) से परिसमापन में लाया जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था में पदस्थ प्रशासक को संस्था द्वारा चार्ज नहीं देने से प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.
2. प्रशासक की अनुशंसा अनुसार संस्था द्वारा निर्वाचन कार्य में रुचि नहीं ली गई है.
3. रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को सदस्यता सूची एवं अन्य जानकारी उपलब्ध नहीं कराये जाने एवं निर्वाचन कार्य में रुचि नहीं लेने से रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया गया है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अंदर वर्णित आरोपों के संदर्भ में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समितियों को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रतिउत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अतः मैं, घनश्याम डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत माँ रेवा उन्नत बीज उत्पादक सहकारी समिति, सांगाखेडाकलां को परिसमापन में लाता हूं एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. के. पाटिल, अंकेक्षण अधिकारी को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 06 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(1268)

होशंगाबाद, दिनांक 06 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1193.—शुभम बीज उत्पादक समिति, शिवपुर, पंजीयन क्र. 3219, दिनांक 17 जून, 2015 को कार्यालय के पत्र क्र. /परि./2017/299, दिनांक 04 फरवरी, 2017 द्वारा निम्नलिखित कारणों से धारा-69 (3) से परिसमापन में लाया जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था में पदस्थ प्रशासक को संस्था द्वारा चार्ज नहीं देने से प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.
2. प्रशासक की अनुशंसा अनुसार संस्था द्वारा निर्वाचन कार्य में रुचि नहीं ली गई है.
3. रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को सदस्यता सूची एवं अन्य जानकारी उपलब्ध नहीं कराये जाने एवं निर्वाचन कार्य में रुचि नहीं लेने से रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया गया है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अंदर वर्णित आरोपों के संदर्भ में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समितियों को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रतिउत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अतः मैं, घनश्याम डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत शुभम बीज उत्पादक सहकारी समिति, शिवपुर को परिसमापन में लाता हूं एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. के. पाटिल, अंकेक्षण अधिकारी को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 06 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(1268-A)

होशंगाबाद, दिनांक 06 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1194.—श्री कृष्ण जैविक खाद उत्पादक सह. समिति, शिवपुर, पंजीयन क्र. 3176, दिनांक 10 अप्रैल, 2015 को कार्यालय के पत्र क्र./परि./2017/299, दिनांक 04 फरवरी, 2017 द्वारा निम्नलिखित कारणों से धारा-69 (3) से परिसमापन में लाया जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था में पदस्थ प्रशासक को संस्था द्वारा चार्ज नहीं देने से प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

2. प्रशासक की अनुशंसा अनुसार संस्था द्वारा निर्वाचन कार्य में रुचि नहीं ली गई है.

3. रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को सदस्यता सूची एवं अन्य जानकारी उपलब्ध नहीं कराये जाने एवं निर्वाचन कार्य में रुचि नहीं लेने से रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

4. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया गया है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अंदर वर्णित आरोपों के संदर्भ में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समितियों को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रतिउत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अत: मैं, घनश्याम डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत श्री कृष्ण जैविक खाद उत्पादक सह. समिति, शिवपुर को परिसमापन में लाता हूं एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. के. पाटिल, अंकेक्षण अधिकारी को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 06 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(1268-B)

होशंगाबाद, दिनांक 06 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1195.—दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्या., इकलानी, पंजीयन क्र. 3206, दिनांक 11 जून, 2015 को कार्यालय के पत्र क्र./परि./2017/299, दिनांक 04 फरवरी, 2017 द्वारा निम्नलिखित कारणों से धारा-69 (3) से परिसमापन में लाया जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था में पदस्थ प्रशासक को संस्था द्वारा चार्ज नहीं देने से प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

2. प्रशासक की अनुशंसा अनुसार संस्था द्वारा निर्वाचन कार्य में रुचि नहीं ली गई है.

3. रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को सदस्यता सूची एवं अन्य जानकारी उपलब्ध नहीं कराये जाने एवं निर्वाचन कार्य में रुचि नहीं लेने से रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

4. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया गया है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अंदर वर्णित आरोपों के संदर्भ में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समितियों को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रतिउत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अत: मैं, घनश्याम डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्या., इकलानी को परिसमापन में लाता हूं एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री उदयभान सिंह वर्मा, सह. निरी. को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 06 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(1268-C)

होशंगाबाद, दिनांक 06 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1196.—दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्या., पतलईकलां, पंजीयन क्र. 3107, दिनांक 22 मई, 2014 को कार्यालय के

पत्र क्र./परि./2017/299, दिनांक 04 फरवरी, 2017 द्वारा निम्नलिखित कारणों से धारा-69 (3) से परिसमापन में लाया जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था में पदस्थ प्रशासक को संस्था द्वारा चार्ज नहीं देने से प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.
2. प्रशासक की अनुशंसा अनुसार संस्था द्वारा निर्वाचन कार्य में रुचि नहीं ली गई है.
3. रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को सदस्यता सूची एवं अन्य जानकारी उपलब्ध नहीं कराये जाने एवं निर्वाचन कार्य में रुचि नहीं लेने से रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया गया है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अंदर वर्णित आरोपों के संदर्भ में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समितियों को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रतिउत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अतः मैं, घनश्याम डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्या., पतलईकलां को परिसमापन में लाता हूं एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री उदयभान सिंह वर्मा, सह. निरी. को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 06 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(1268-D)

होशंगाबाद, दिनांक 06 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1197.—दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्या., सोनखेड़ी, पंजीयन क्र. 3201, दिनांक 09 जून, 2015 को कार्यालय के पत्र क्र./परि./2017/299, दिनांक 04 फरवरी, 2017 द्वारा निम्नलिखित कारणों से धारा-69 (3) से परिसमापन में लाया जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था में पदस्थ प्रशासक को संस्था द्वारा चार्ज नहीं देने से प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.
2. प्रशासक की अनुशंसा अनुसार संस्था द्वारा निर्वाचन कार्य में रुचि नहीं ली गई है.
3. रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को सदस्यता सूची एवं अन्य जानकारी उपलब्ध नहीं कराये जाने एवं निर्वाचन कार्य में रुचि नहीं लेने से रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया गया है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अंदर वर्णित आरोपों के संदर्भ में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समितियों को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रतिउत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अतः मैं, घनश्याम डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्या., सोनखेड़ी को परिसमापन में लाता हूं एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री उदयभान सिंह वर्मा, सह. निरी. को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 06 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(1268-E)

होशंगाबाद, दिनांक 06 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1198.—दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्या., लोहरियाकलां, पंजीयन क्र. 3141, दिनांक 16 अक्टूबर, 2014 को कार्यालय के पत्र क्र./परि./2017/299, दिनांक 04 फरवरी, 2017 द्वारा निम्नलिखित कारणों से धारा-69 (3) से परिसमापन में लाया जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था में पदस्थ प्रशासक को संस्था द्वारा चार्ज नहीं देने से प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.
2. प्रशासक की अनुशंसा अनुसार संस्था द्वारा निर्वाचन कार्य में रुचि नहीं ली गई है.
3. रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को सदस्यता सूची एवं अन्य जानकारी उपलब्ध नहीं कराये जाने एवं निर्वाचन कार्य में रुचि नहीं लेने से रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया गया है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अंदर वर्णित आरोपों के संदर्भ में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समितियों को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रतिउत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अतः मैं, घनश्याम डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्या., लोहरियाकलां को परिसमापन में लाता हूं एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री उदयभान सिंह वर्मा, सह. निरी. को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 06 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(1268-F)

होशंगाबाद, दिनांक 06 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1199.—माँ मेकलसुता जैविक खाद उत्पादक सह. समिति, डोलरिया, पंजीयन क्र. 3154, दिनांक 09 फरवरी, 2015 को कार्यालय के पत्र क्र./परि./2017/299, दिनांक 04 फरवरी, 2017 द्वारा निम्नलिखित कारणों से धारा-69 (3) से परिसमापन में लाया जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था में पदस्थ प्रशासक को संस्था द्वारा चार्ज नहीं देने से प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.
2. प्रशासक की अनुशंसा अनुसार संस्था द्वारा निर्वाचन कार्य में रुचि नहीं ली गई है.
3. रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को सदस्यता सूची एवं अन्य जानकारी उपलब्ध नहीं कराये जाने एवं निर्वाचन कार्य में रुचि नहीं लेने से रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया गया है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अंदर वर्णित आरोपों के संदर्भ में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समितियों को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रतिउत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अतः मैं, घनश्याम डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत माँ मेकलसुता जैविक खाद उत्पादक सह.

समिति, डोलरिया को परिसमापन में लाता हूं एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री उदयभान सिंह वर्मा, सह. निरी. को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 06 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(1268-G)

होशंगाबाद, दिनांक 06 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1200—देनवा मत्स्य उद्योग सह. समिति मर्या., कोटगांव, पंजीयन क्र. 3213, दिनांक 06 दिसम्बर, 2015 को कार्यालय के पत्र क्र./परि./2017/299, दिनांक 04 फरवरी, 2017 द्वारा निम्नलिखित कारणों से धारा-69 (3) से परिसमापन में लाया जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था में पदस्थ प्रशासक को संस्था द्वारा चार्ज नहीं देने से प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.
2. प्रशासक की अनुशंसा अनुसार संस्था द्वारा निर्वाचन कार्य में रुचि नहीं ली गई है.
3. रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को सदस्यता सूची एवं अन्य जानकारी उपलब्ध नहीं कराये जाने एवं निर्वाचन कार्य में रुचि नहीं लेने से रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया गया है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अंदर वर्णित आरोपों के संदर्भ में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समितियों को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रतिउत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अतः मैं, घनश्याम डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत देनवा मत्स्य उद्योग सह. समिति मर्या, कोटगांव को परिसमापन में लाता हूं एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री उदयभान सिंह वर्मा, सह. निरी. को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 06 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(1268-H)

होशंगाबाद, दिनांक 06 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1201.—दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्या., पड़रई ठाकुर, पंजीयन क्र. 3193, दिनांक 28 मई, 2015 को कार्यालय के पत्र क्र./परि./2017/299, दिनांक 04 फरवरी, 2017 द्वारा निम्नलिखित कारणों से धारा-69 (3) से परिसमापन में लाया जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था में पदस्थ प्रशासक को संस्था द्वारा चार्ज नहीं देने से प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.
2. प्रशासक की अनुशंसा अनुसार संस्था द्वारा निर्वाचन कार्य में रुचि नहीं ली गई है.
3. रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को सदस्यता सूची एवं अन्य जानकारी उपलब्ध नहीं कराये जाने एवं निर्वाचन कार्य में रुचि नहीं लेने से रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया गया है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अंदर वर्णित आरोपों के संदर्भ में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समितियों को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रतिउत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अत: मैं, घनश्याम डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्या., पड़रई ठाकुर को परिसमापन में लाता हूं एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री उदयभान सिंह वर्मा, सह. निरी. को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 06 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(1268-I)

होशंगाबाद, दिनांक 06 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1202.—दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्या., करनपुर, पंजीयन क्र. 3164, दिनांक 16 फरवरी, 2015 को कार्यालय के पत्र क्र./परि./2017/299, दिनांक 04 फरवरी, 2017 द्वारा निम्नलिखित कारणों से धारा-69 (3) से परिसमापन में लाया जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था में पदस्थ प्रशासक को संस्था द्वारा चार्ज नहीं देने से प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.
2. प्रशासक की अनुशंसा अनुसार संस्था द्वारा निर्वाचन कार्य में रुचि नहीं ली गई है.
3. रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को सदस्यता सूची एवं अन्य जानकारी उपलब्ध नहीं कराये जाने एवं निर्वाचन कार्य में रुचि नहीं लेने से रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया गया है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अंदर वर्णित आरोपों के संदर्भ में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समितियों को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रतिउत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अत: मैं, घनश्याम डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्या., करनपुर को परिसमापन में लाता हूं एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री उदयभान सिंह वर्मा, सह. निरी. को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 06 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(1268-J)

होशंगाबाद, दिनांक 06 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1203.—दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्या., गाजनपुर, पंजीयन क्र. 3205, दिनांक 09 जून, 2015 को कार्यालय के पत्र क्र./परि./2017/299, दिनांक 04 फरवरी, 2017 द्वारा निम्नलिखित कारणों से धारा-69 (3) से परिसमापन में लाया जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था में पदस्थ प्रशासक को संस्था द्वारा चार्ज नहीं देने से प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.
2. प्रशासक की अनुशंसा अनुसार संस्था द्वारा निर्वाचन कार्य में रुचि नहीं ली गई है.
3. रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को सदस्यता सूची एवं अन्य जानकारी उपलब्ध नहीं कराये जाने एवं निर्वाचन कार्य में रुचि नहीं लेने से रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया गया है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अंदर वर्णित आरोपों के संदर्भ में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समितियों को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रतिउत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अतः मैं, घनश्याम डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्या., गाजनपुर को परिसमापन में लाता हूं एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री उदयभान सिंह वर्मा, सह. निरी. को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 06 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(1268-K)

होशंगाबाद, दिनांक 06 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1204.—दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्या., धापड़ा कलां, पंजीयन क्र. 3144, दिनांक 28 नवम्बर, 2014 को कार्यालय के पत्र क्र./परि./2017/299, दिनांक 04 फरवरी, 2017 द्वारा निम्नलिखित कारणों से धारा-69 (3) से परिसमापन में लाया जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था में पदस्थ प्रशासक को संस्था द्वारा चार्ज नहीं देने से प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.
2. प्रशासक की अनुशंसा अनुसार संस्था द्वारा निर्वाचन कार्य में रुचि नहीं ली गई है.
3. रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की सदस्यता सूची एवं अन्य जानकारी उपलब्ध नहीं कराये जाने एवं निर्वाचन कार्य में रुचि नहीं लेने से रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया गया है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अंदर वर्णित आरोपों के संदर्भ में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समितियों को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रतिउत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अतः मैं, घनश्याम डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्या., धापड़ा कलां को परिसमापन में लाता हूं एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री उदयभान सिंह वर्मा, सह. निरी. को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 06 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(1268-L)

होशंगाबाद, दिनांक 06 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1205.—दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्या., भानुपुरा, पंजीयन क्र. 3207, दिनांक 11 जून, 2015 को कार्यालय के पत्र क्र./परि./2017/299, दिनांक 04 फरवरी, 2017 द्वारा निम्नलिखित कारणों से धारा-69 (3) से परिसमापन में लाया जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था में पदस्थ प्रशासक को संस्था द्वारा चार्ज नहीं देने से प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.
2. प्रशासक की अनुशंसा अनुसार संस्था द्वारा निर्वाचन कार्य में रुचि नहीं ली गई है.
3. रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की सदस्यता सूची एवं अन्य जानकारी उपलब्ध नहीं कराये जाने एवं निर्वाचन कार्य में रुचि नहीं लेने से रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

4. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया गया है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अंदर वर्णित आरोपों के संदर्भ में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समितियों को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रतिउत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अतः मैं, घनश्याम डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्या., भानुपुरा को परिसमापन में लाता हूं एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री उदयभान सिंह वर्मा, सह. निरी. को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 06 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(1268-M)

होशंगाबाद, दिनांक 06 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1206.—मत्स्य उद्योग उत्पादक सह. समिति मर्या., धनासरी, पंजीयन क्र. 3165, दिनांक 16 फरवरी, 2015 को कार्यालय के पत्र क्र./परि./2017/299, दिनांक 04 फरवरी, 2017 द्वारा निम्नलिखित कारणों से धारा-69 (3) से परिसमापन में लाया जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था में पदस्थ प्रशासक को संस्था द्वारा चार्ज नहीं देने से प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.
2. प्रशासक की अनुशंसा अनुसार संस्था द्वारा निर्वाचन कार्य में रुचि नहीं ली गई है.
3. रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की सदस्यता सूची एवं अन्य जानकारी उपलब्ध नहीं कराये जाने एवं निर्वाचन कार्य में रुचि नहीं लेने से रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया गया है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अंदर वर्णित आरोपों के संदर्भ में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समितियों को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रतिउत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अतः मैं, घनश्याम डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत मत्स्य उद्योग उत्पादक सह. समिति मर्या., धनासरी को परिसमापन में लाता हूं एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री डी. पी. पाल, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 06 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

घनश्याम डेहरिया,
उप-पंजीयक

(1268-N)

कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला हरदा

हरदा, दिनांक 31 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/463.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, आमासेल, तहसील खिरकिया, जिला हरदा, पंजीयन क्रमांक/ARH/HRD/142, दिनांक 07 जनवरी, 2008 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक परि./2014/693, हरदा, दिनांक 15 सितम्बर, 2014 के द्वारा परिसमापन में क्यों न लाया जाकर श्री ललित सकवार, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा दिनांक 06 मार्च, 2017 को संस्था के सदस्यों की विशेष आमसभा आयोजित कर संस्था के कार्य संचालन एवं पुनर्जीवित करने हेतु सदस्यों से चर्चा कर विधिवत् ठहराव पारित किया गया. उक्त प्रस्ताव का अवलोकन किया गया. परिसमापक द्वारा प्रस्ताव/ठहराव संलग्न कर संस्था को पुनर्जीवित करने हेतु अनुशंसा की गयी है. मेरी राय में संस्था का अस्तित्व में बनाये रखना उचित है.

तद्नुसार प्रस्ताव से सहमत होते हुए मैं, घनश्याम डेहरिया, उप-रजिस्ट्रार, कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला-हरदा, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, आमासेल, तहसील खिरकिया, जिला हरदा, पंजीयन क्रमांक/ARH/HRD/142, दिनांक 07 जनवरी, 2008 को परिसमापन में लाने के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/693, हरदा, दिनांक 15 सितम्बर, 2014 को समाप्त कर संस्था को पुनर्जीवित करता हूँ. संस्था के कार्य संचालन हेतु सुश्री नताशा राजपूत, पर्यवेक्षक, दुग्ध शीत केन्द्र, हरदा को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करता हूँ.

(1269)

हरदा, दिनांक 31 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/464.—कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./04/1147, हरदा, दिनांक 27 दिसम्बर, 2004 के द्वारा श्री नर्मदांचल जिला प्राथमिक सहकारी प्रिंटिंग प्रेस मर्यादित, हरदा, जिला-हरदा, जिसका पंजीयन क्रमांक ARH/HDA/27, दिनांक 01 फरवरी, 2002 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में धारा-70 के अन्तर्गत श्री ललित सकवार, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, हरदा को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक द्वारा की गयी कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापन संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, घनश्याम डेहरिया, उप-रजिस्ट्रार, कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला-हरदा, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) की रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त है, का उपयोग करते हुये श्री नर्मदांचल जिला प्राथमिक सहकारी प्रिंटिंग प्रेस मर्यादित, हरदा, जिला-हरदा, जिसका पंजीयन क्रमांक ARH/HDA/27, दिनांक 01 फरवरी, 2002 के निगमित-निकाय (बॉडी-कारपोरेट) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(1269-A)

कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला हरदा

हरदा, दिनांक 06 अप्रैल, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

1. श्री उमाशंकर/कन्हैयालाल दोगनें, पोखरनी (अध्यक्ष),
2. श्रीमती कान्तिबाई/वतनसिंह, पोखरनी (उपाध्यक्ष),
3. श्री दीनानाथ/मोतीराम, लहाड़पुर (संचालक)
4. श्री वालकृष्ण/नर्मदाप्रसाद, धौलपुर (संचालक)
5. श्री संतोष/हरीशंकर, धौलपुर (संचालक)
6. श्री बसंतकुमार/रामेश्वर, पोखरनी (संचालक)
7. श्री अशोक कुमार/कन्हैयालाल, पोखरनी (संचालक)
8. श्रीमती पुष्पाबाई/ओमप्रकाश, पिपल्या माफी (संचालक)
9. श्री मोहनलाल/तुकाराम, पोखरनी (संचालक)

माँ रेवा क्रय-विक्रय एवं विपणन सहकारी समिति मर्या., टिमरनी, जिला हरदा

क्र./परि./2017/483.—मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम की धारा-49 एवं 58 के अन्तर्गत यह पाया गया कि संस्था को निम्न

कारणों से परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है :-

1. संस्था का रिकार्ड विधिवत् संधारित नहीं होकर अपूर्ण है.
2. संस्था द्वारा निरन्तर वर्ष 2013-14 से वर्ष 2015-16 तक अंकेक्षण पूर्ण नहीं कराना.
3. संस्था का पंजीकृत पते पर कार्यालय स्थापित नहीं होना
4. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील होकर कार्य करना बंद कर दिया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एच-5-1-99-एक-पन्द्रह-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये मैं घनश्याम डेहरिया, उप-पंजीयक, कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, हरदा माँ रेवा क्रय-विक्रय एवं विपणन सहकारी समिति मर्या., टिमरनी, जिला हरदा जिसका पंजीयन क्रमांक 112 दिनांक 07 फरवरी, 2005 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम की धारा-69 (2) (ए) के अन्तर्गत आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त होने के तीस दिवस के अन्दर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर (स्पष्टीकरण) इस कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है, एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर समिति को परिसमापन में लाये जाने के आदेश पारित कर दिये जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 अप्रैल, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1269-B)

हरदा, दिनांक 20 अप्रैल, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक,
दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, भुन्नास,
तहसील हरदा, जिला हरदा.

क्र./परि./2017/525.—मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम की धारा-49 एवं 58 के अन्तर्गत यह पाया गया कि संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है :-

1. संस्था का रिकार्ड विधिवत् संधारित नहीं होकर अपूर्ण है.
2. संस्था विगत वर्ष से अकार्यशील होकर कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एच-5-1-99-एक-पन्द्रह-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये मैं, घनश्याम डेहरिया, उप-पंजीयक, कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, हरदा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, भुन्नास, जिला हरदा जिसका पंजीयन क्रमांक 229, दिनांक 11 फरवरी, 2015 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम की धारा-69 (2) (ए) के अन्तर्गत आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त होने के तीस दिवस के अन्दर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर (स्पष्टीकरण) इस कार्यालयं में स्वयं उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है, एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर समिति को परिसमापन में लाये जाने के आदेश पारित कर दिये जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 20 अप्रैल, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1269-C)

हरदा, दिनांक 20 अप्रैल, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक,
दिव्य शक्ति बीज एवं जैविक बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, झुगरिया,
जिला हरदा.

क्र./परि./2017/526.—मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम की धारा-49 एवं 58 के अन्तर्गत यह पाया गया कि संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है :-

1. संस्था का रिकार्ड विधिवत् संधारित नहीं होकर अपूर्ण है.
2. संस्था विगत वर्ष से अकार्यशील होकर कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एच-5-1-99-एक-पन्द्रह-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये मैं घनश्याम डेहरिया, उप-पंजीयक, कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, हरदा दिव्य शक्ति बीज एवं जैविक बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, झुगरिया,जिला हरदा जिसका पंजीयन क्रमांक 226, दिनांक 30 जनवरी, 2015 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम की धारा-69 (2) (ए) के अन्तर्गत आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त होने के तीस दिवस के अन्दर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर (स्पष्टीकरण) इस कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है, एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर समिति को परिसमापन में लाये जाने के आदेश पारित कर दिये जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 20 अप्रैल, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1269-D)

हरदा, दिनांक 20 अप्रैल, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/527.—ज्योति क्रय-विक्रय एवं विपणन सहकारी समिति मर्यादित, खिरकिया, जिसका पंजीयन क्रमांक/89, दिनांक 10 अप्रैल, 2003 है, को परिसमापन में क्या न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/1200, 13 दिसम्बर, 2016 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया, किन्तु संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि के उपरांत जबाव प्रस्तुत किया गया, वह संतोषजनक नहीं है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, घनश्याम डेहरिया, उप-रजिस्ट्रार, कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला-हरदा, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां, जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं, का उपयोग करते हुये ज्योति क्रय-विक्रय एवं विपणन सहकारी समिति मर्यादित, खिरकिया, जिला हरदा को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. के. पारें, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री आर. के. पारें, उप-अंकेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र अतिशीघ्र प्रस्तुत करें.

घनश्याम डेहरिया,
उप-पंजीयक.

(1269-E)

कार्यालय परिसमापक एवं सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला हरदा

हरदा, दिनांक 06 फरवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला हरदा के द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम एवं पता	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, आमासेल	142/07-01-2008	693/15-09-2014
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, छिडगाँव	196/05-11-2012	694/15-09-2014
3.	राजेन्द्र बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मुहालकला	141/03-11-2007	695/15-09-2014
4.	श्री नर्मदा कामगार सहकारी संस्था मर्यादित, हरदा	03/11-03-2002	551/06-08-2014
5.	वसुन्धरा वेयरहाउस (भंडारण) सहकारिता मर्यादित, रहटगांव	32/20-12-2002	551/06-08-2014
6.	आदर्श वेयरहाउस (भंडारण) सहकारिता मर्यादित, चारखेडा	35/09-01-2003	551/06-08-2014
7.	जयश्री बलराम साख सहकारिता मर्यादित, जिनवानिया	01/27-11-2001	551/06-08-2014
8.	तिरूपति बहुउद्देशीय सहकारिता मर्यादित, टिमरनी	13/01-07-2002	551/06-08-2014
9.	शिवशक्ति साख सहकारिता मर्यादित, हरदा	19/20-08-2002	551/06-08-2014
10.	सिद्धेश्वर साख सहकारिता मर्यादित, हरदा	20/10-09-2002	551/06-08-2014
11.	श्री जय भारती बलराम साख सहकारिता मर्यादित, पोखरनी	12/01-07-2002	551/06-08-2014
12.	हरदा साख सहकारिता मर्यादित, हरदा	92/16-03-2002	551/06-08-2014
13.	आवास मुद्रणालय सहकारी संस्था मर्या., हरदा	30/28-11-2002	551/06-08-2014
14.	श्री राम कृषि आदान निर्माण एवं प्रदाय असाख सहकारिता मर्यादित, हरदा.	28/15-11-2002	551/06-08-2014
15.	जगदम्बा प्रिंटिंग प्रेस सहकारिता मर्या., टिमरनी	14/03-07-2002	551/06-08-2014
16.	श्रीराम बीज उत्पादक सहकारिता मर्या., बैडी	15/23-07-2002	1030/31-12-2015
17.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, दुलिया	143/07-07-2008	1030/31-12-2015
18.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, मगरधा	82/31-12-2002	1030/31-12-2015
19.	आदर्श मत्स्य सहकारी समिति मर्यादित, हंडिया	102/26-03-2004	963/04-11-2016
20.	आदर्श सामुहिक कृषि सहकारी समिति मर्यादित, झांझरी	18/01-07-1963	30/13-01-2017
21.	नारी कल्याण सहकारी समिति मर्यादित, हरदा	100/01-08-1989	30/13-01-2017
22.	आकार सहकारी मुद्रणालय मर्यादित, हरदा	14/10-01-2001	30/13-01-2017

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा-पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

ललित सकवार,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(1270)

कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्थाएं मर्या., जिला हरदा

हरदा, दिनांक 04 फरवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला हरदा के द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम एवं पता	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	अशोक बाँस उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, सोडलपुर	1964/10-05-1966	30/13-01-2017
2.	संयुक्त कृषि सहकारी संस्था मर्यादित, नीमखेड़ा	1434/21-01-1965	30/13-01-2017
3.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पोखरनी	2196/30-07-1983	30/13-01-2017
4.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कुकरावद	2265/10-09-1987	30/13-01-2017

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा-पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 04 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

आर. के. ओझा,
परिसमापक एवं व. स. नि.

(1270-A)

कार्यालय परिसमापक एवं सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं मर्यादित, जिला हरदा

हरदा, दिनांक 16 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला हरदा के द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम एवं पता	पता	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन का नाम व पद
1	2	3	4	5
1.	ब्रम्हशक्ति महिला बहु. सह. संस्था मर्या., आदमपुर	आदमपुर	134/25-05-2006	यू.एस. राठौर, उप-अंकेक्षक
2.	माँ भगवती सह. उप. भण्डार मर्या., खिरकिया	खिरकिया	139/11-07-2007	यू.एस. राठौर, उप-अंकेक्षक
3.	दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्या., अजनास रैयत	अजनास रैयत	158/28-08-2008	यू.एस. राठौर, उप-अंकेक्षक
4.	दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्या., दीपगाँव खुर्द	दीपगाँव खुर्द	80/21-12-2002	यू.एस. राठौर, उप-अंकेक्षक
5.	दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्या., अबगॉव खुर्द	अबगॉव खुर्द	192/30-08-2012	यू.एस. राठौर, उप-अंकेक्षक

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 16 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

यू. एस. राठौर,
परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक.

(1270-B)

कार्यालय परिसमापक एवं सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला हरदा

हरदा, दिनांक 16 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला हरदा के द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम एवं पता	पता	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन का नाम व पद
1	2	3	4	5
1.	देशबन्धु मत्स्य सह. समिति मर्या., हरदा	हरदा	98/09-01-2004	जी.पी.दीवान, उप-अंकेक्षक
2.	दक्षिणा बीज उत्पादक सह. समिति मर्या., अबगॉवकलां	अबगॉवकलां	166/23-04-2010	जी.पी.दीवान, उप-अंकेक्षक
3.	दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्या., फुलड़ी	फुलड़ी	2165/22-01-1983	जी.पी.दीवान, उप-अंकेक्षक
4.	जय हनुमान श्रम ठेका सह. समिति मर्या., टिमरनी	टिमरनी	129/17-03-2006	जी.पी.दीवान, उप-अंकेक्षक
5.	दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्या., कचबैड़ी	कचबैड़ी	176/26-08-2011	जी.पी.दीवान, उप-अंकेक्षक

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 16 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

जी. पी. दीवान,

(1270-C) परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक.

कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, डिण्डोरी

डिण्डोरी, दिनांक 12 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 क (1) के अंतर्गत]

क्र./सपंडि/परि./2017/229.—परि. आदर्श काष्ठकला उद्योग सहकारी समिति मर्या., दुल्लोपुर, पंजीयन क्रमांक 03/03 फरवरी, 2001, विकासखंड बजाग, जिला डिण्डोरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./177, दिनांक 15 मार्च, 2013 द्वारा श्री एल. आर. परते, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

अत: मैं, जी. पी. कन्ड्रा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, डिण्डोरी एतद्द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99, पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए परि. आदर्श काष्ठकला उद्योग सहकारी समिति मर्या., दुल्लोपुर, पंजीयन क्रमांक 03/03 फरवरी, 2001, विकासखंड बजाग, जिला डिण्डोरी का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 12 मई, 2017 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 12 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1271)

डिण्डोरी, दिनांक 12 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 क (1) के अंतर्गत]

क्र./सपंडि/परि./2017/230.—परि. आदिवासी मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., पाटनगढ़, पंजीयन क्रमांक 704, दिनांक 10 फरवरी, 1997, विकासखंड करंजिया, जिला डिण्डोरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./407, दिनांक 17 जून, 2014 द्वारा श्री एल. आर. परते, सहकारी निरीक्षक को

परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

अतः मैं, जी. पी. कन्ड्रा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, डिण्डोरी. एतद्द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99, पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए परि. आदिवासी मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., पाटनगढ़, पंजीयन क्रमांक 704, दिनांक 10 फरवरी, 1997, विकासखंड करंजिया, जिला डिण्डोरी का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 12 मई, 2017 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 12 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1271-A)

डिण्डोरी, दिनांक 12 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 क (1) के अंतर्गत]

क्र./सर्पंडि/परि./2017/231.—परि. हरिकामठ बांस उद्योग सहकारी समिति मर्या., सिंगपुर, पंजीयन क्रमांक 07, दिनांक 01 दिसम्बर, 1997, विकासखंड बजाग, जिला डिण्डोरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./399, दिनांक 17 जून, 2014 द्वारा श्री एल. आर. परते, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

अतः मैं, जी. पी. कन्ड्रा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, डिण्डोरी. एतद्द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99, पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए परि. हरिकामठ बांस उद्योग सहकारी समिति मर्या., सिंगपुर, पंजीयन क्रमांक 07, दिनांक 01 दिसम्बर, 1997, विकासखंड बजाग, जिला डिण्डोरी का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 12 मई, 2017 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 12 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1271-B)

डिण्डोरी, दिनांक 12 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 क (1) के अंतर्गत]

क्र./सर्पंडि/परि./2017/232.-परि. मां नर्मदा ईंट-खपरा निर्माण सहकारी समिति मर्या., बजाग, पंजीयन क्रमांक 21, दिनांक 26 अप्रैल, 2007, विकासखंड बजाग, जिला डिण्डोरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./398, दिनांक 17 जून, 2014 द्वारा श्री एल. आर. परते, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

अतः मैं, जी. पी. कन्ड्रा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, डिण्डोरी. एतद्द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99, पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए परि. मां नर्मदा ईंट-खपरा निर्माण सहकारी समिति मर्या., बजाग, पंजीयन क्रमांक 21, दिनांक 26 अप्रैल, 2007, विकासखंड बजाग, जिला डिण्डोरी का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 12 मई, 2017 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 12 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

जी. पी. कन्ड्रा,
सहायक पंजीयक.

(1271-C)

कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय जबलपुर एवं नरसिंहपुर

जबलपुर, दिनांक 26 मई, 2017

क्र./1469/नग्रानि/डीपीआर-613/17.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा-15

की उपधारा (1) के तहत सर्व-साधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि कार्यालय नगर तथा ग्राम निवेश जबलपुर द्वारा मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-113-2015-अठारह-5-इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक 1086-892-32-1977, दिनांक 24 जुलाई, 1977 द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा-13 (1) के प्रावधानांतर्गत गाडरवारा निवेश क्षेत्र की सीमायें का गठन किया गया था, राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा-13 (2) के अंतर्गत पूर्व गठित गाडरवारा निवेश क्षेत्र में पुनर्गठित निवेश क्षेत्र का गठन का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 06 जनवरी, 2017 को किया गया है. गठित निवेश क्षेत्र में सम्मिलित 13 ग्रामों के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र तैयार किये गये हैं जो कि निम्नानुसार हैं:—

1. कौंडिया, 2. चिरहा खुर्द, 3. बोदरी (भाग), 4. चिरहकला, 5. गरधा (भाग), 6. कामती, 7. पिटेहरा, 8. आमगांव, 9. जमाड़ा, 10. पतलोन, 11. खैरी, 12. गाडरवारा, 13. इमलिया.

उपरोक्त ग्रामों के मानचित्र सर्व-साधारण के निरीक्षण के लिये कार्यालय कलेक्टर, नरसिंहपुर, नगरपालिका परिषद्, गाडरवारा तथा कार्यालय नगर तथा ग्राम निवेश जबलपुर के सूचना पटल पर दिनांक 02 जून, 2017 से दिनांक 01 जुलाई, 2017 तक (तीस दिवस) कार्यालयीन समय में अवकाश के दिनों को छोड़कर उपलब्ध रहेंगे.

यदि इस प्रकार तैयार किये गये भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र के संबंध में कोई आपत्ति/सुझाव हों तो उसे प्रदर्शनीय स्थल नगर पालिका परिषद् गाडरवारा या कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जबलपुर को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस की कालावधि के भीतर लिखित में भेजा जाना चाहिये या प्रस्तुत कर सकते हैं. भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र के संबंध में किसी ऐसी आपत्ति/सुझाव पर जो किसी भी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर प्राप्त हो, संचालक द्वारा विचार किया जावेगा.

नीरज आनंद लिखार,
संयुक्त संचालक.

(1273)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2017

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 22] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 2 जून, 2017-ज्येष्ठ 12, शके 1939

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 28 दिसम्बर, 2016

1. **मौसम एवं वर्षा.**-राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है.

2. **जुताई.**- जिला श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, छतरपुर, पन्ना, सागर, दमोह, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सिंगरोली, रायसेन, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, मण्डला व सिवनी में जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**- जिला बैतूल में गेहूँ, मसूर, चना, मटर, राई-सरसों, श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, छतरपुर, पन्ना, सागर, दमोह, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सिंगरोली, मंदसौर, खरगौन, बड़वानी, राजगढ़, रायसेन, बैतूल, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर व बालाघाट में रबी फसलों की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. **फसल स्थिति-**

5. **कटाई.**- जिला सिवनी, दमोह, सीधी व खरगोन में खरीफ फसलों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. **सिंचाई.**- जिला ग्वालियर, सागर, शहडोल, बड़वानी व सिवनी में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**- राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**- राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**- राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**- राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 28 दिसम्बर, 2016

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि. मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. अम्बाह	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मुरैना	. .				
4. जौरा	. .				
5. सबलगढ़	. .				
6. कैलारस	. .				
2. जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. श्योपुर	. .	कार्य चालू है.	4. (1) तुअर, गन्ना, गेहूँ, जौ, चना,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. कराहल	. .		राई-सरसों, अलसी, धनिया,	चारा पर्याप्त.	
3. विजयपुर	. .		मैथी, मसूर.		
			(2) . .		
3. जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. अटेर	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई सरसों.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भिण्ड	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. गोहद	. .				
4. मेहगांव	. .				
5. लहार	. .				
6. मिहोना	. .				
7. रौन	. .				
4. जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई, बोनी एवं रोपाई	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. ग्वालियर	. .	का कार्य चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. डबरा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. भितरवार	. .				
4. घाटीगांव	. .				
5. जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. सेवढ़ा	. .	कार्य चालू है.	4. (1) गन्ना, मूँगफली, तिल, उड़द,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. दतिया	. .		मूँग, धान समान.	चारा पर्याप्त.	
3. भाण्डेर	. .		(2) तिल बिगड़ी.		
6. जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. खनियाधाना	. .				
4. नरवर	. .				
5. करैरा	. .				
6. कोलारस	. .				
7. पोहरी	. .				
8. बदरवास	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कम वर्षा से फसल प्रभावित.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. मुँगावली	. .		4. (1) उड़द, सोयाबीन, मक्का,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	. .		गन्ना, गेहूँ, चना समान.	चारा पर्याप्त.	
3. अशोकनगर	. .		(2) . .		
4. चन्देरी	. .				
5. शाढौरा	. .				
8. जिला गुना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7.आवश्यक नहीं
1. गुना	. .		4. (1) गेहूँ, चना, धनिया, मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. राघोगढ़	. .		सरसों समान.	चारा पर्याप्त.	
3. बमोरी	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. आरोन	. .				
5. चाचौड़ा	. .				
6. कुम्भराज	. .				
9. जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. निवाड़ी	. .		4. (1) अरहर, चना, सरसों,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	. .		मटर, गेहूँ, अन्य रबी	चारा पर्याप्त.	
3. जतारा	. .		फसलें समान.		
4. टीकमगढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. बल्देवगढ़	. .				
6. पलेरा	. .				
7. ओरछा	. .				
10. जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. लव-कुश नगर	. .	कार्य चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नौगांव	. .				
4. छतरपुर	. .				
5. राजनगर	. .				
6. बिजावर	. .				
7. बड़ामलहरा	. .				
8. बक्सवाहा	. .				
11. जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. अजयगढ़	. .	बोनी कार्य प्रारंभ.	4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, मक्का,	6. संतोषप्रद,	8. . .
2. पन्ना	. .		तुअर, उड़द, मूँग, सोयाबीन,	चारा पर्याप्त.	
3. गुन्नौर	. .		तिल.		
4. पवई	. .		(2) . .		
5. शाहनगर	. .				
12. जिला सागर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	. .	कार्य चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खुरई	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बण्डा	. .				
4. सागर	. .				
5. रेहली	. .				
6. देवरी	. .				
7. गढ़ाकोटा	. .				
8. राहतगढ़	. .				
9. केसली	. .				
10. मालथोन	. .				
11. शाहगढ़	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13. जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है. खरीफ फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) अरहर, गन्ना, गेहूँ, चना, मटर, मसूर, राई-सरसों, अलसी, तिल, तिवड़ा, जौ. अन्य सुधरी. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा	. .				
2. बटियागढ़	. .				
3. दमोह	. .				
4. पथरिया	. .				
5. जवेरा	. .				
6. तेन्दूखेड़ा	. .				
7. पटेरा	. .				
14. जिला सतना :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) अरहर, गेहूँ चना, अलसी, मसूर, सरसों. (2) . .	5. . . 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	. .				
2. मझगवां	. .				
3. रामपुर-बघेलान	. .				
4. नागौद	. .				
5. उचेहरा	. .				
6. अमरपाटन	. .				
7. रामनगर	. .				
8. मैहर	. .				
9. बिरसिंहपुर	. .				
15. जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य प्रारंभ है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना, मूसर, अलसी, जौ, सरसों, अरहर समान.. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. त्यौंथर	. .				
2. सिरमौर	. .				
3. मऊगंज	. .				
4. हनुमना	. .				
5. हजूर	. .				
6. गुढ़	. .				
7. रायपुरकर्चुलियान	. .				
16. जिला शहडोल:	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, कोदों-कुटकी, तुअर, राई, सरसों, चना, मसूर, अलसी, गेहूँ, सुधरी. (2) . .	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	. .				
2. ब्यौहारी	. .				
3. जैसिंहनगर	. .				
4. बुढार	. .				
5. जैतपुर	. .				
6. गोहपारू	. .				
17. जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुअर, राई-सरसों, अलसी, मसूर, गेहूँ, चना समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जैतहरी	. .				
2. अनूपपुर	. .				
3. कोतमा	. .				
4. पुष्पराजगढ़	. .				
18. जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मक्का, धान, ज्वार, तुअर, मूँग, तिल, चना, अलसी, राई-सरसों, गेहूँ समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	. .				
2. पाली	. .				
3. मानपुर	. .				
19. जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है. खरीफ फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) अलसी, चना, राई-सरसों, गेहूँ मसूर, जौ समान. (2) . .	5. . . 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	. .				
2. सिंहावल	. .				
3. मझौली	. .				
4. कुसमी	. .				
5. चुरहट	. .				
6. रामपुरनैकिन	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20. जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	. .		4. (1) राहर, ज्वार, अलसी, चना, मटर, राई, गेहूँ.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. देवसर	. .		(2) राहर, ज्वार बिगड़ी, अन्य समान.		
3. सिंगरौली	. .				
21. जिला मंदसौर :	मिलीमीटर	2. रबी फसल की तुड़ाई का कार्य 95% हो गया है.	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. सुवासराटप्पा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	. .		(2) . .		
3. मल्हारगढ़	. .				
4. गरोठ	. .				
5. मंदसौर	. .				
6. श्यामगढ़	. .				
7. सीतामऊ	. .				
8. धुंधड़क्का	. .				
9. संजीत	. .				
10. कयामपुर	. .				
22. *जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जावद	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. नीमच	. .		(2) . .		
3. मनासा	. .				
23. *जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जावरा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. आलोट	. .		(2) . .		
3. सैलाना	. .				
4. बाजना	. .				
5. पिपलोदा	. .				
6. रतलाम	. .				
24. जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	. .		4. (1) गेहूँ, धान समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. तराना	. .				
4. घटिया	. .				
5. उज्जैन	. .				
6. बड़नगर	. .				
7. नागदा	. .				
25. *जिला आगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. बड़ौद	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. आलोट	. .		(2) . .		
2. सुसनेर	. .				
3. नलखेड़ा	. .				
4. आगर	. .				
26. जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. मोहम्मद बड़ोदिया	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, मसूर.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. शुजालपुर	. .				
4. कालापीपल	. .				
5. गुलाना	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27. जिला देवास :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	. .		4. (1) कपास, गेहूँ, मटर, चना समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. देवास	. .				
4. बागली	. .				
5. कन्नोद	. .				
6. खातेगांव	. .				
28. जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. थांदला	. .		4. (1) तुअर, कपास समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. पेटलावद	. .				
4. झाबुआ	. .				
5. राणापुर	. .				
29. जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जोवट	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मक्का, मूँगफली.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	. .		(2) . .		
3. कट्टीवाड़ा	. .				
4. सोंडवा	. .				
5. भामरा	. .				
30. जिला धार :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. बदनावर	. .		4. (1) गेहूँ, चना, कपास, गन्ना समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. धार	. .				
4. कुक्षी	. .				
5. मनावर	. .				
6. धरमपुरी	. .				
7. गंधवानी	. .				
8. डही	. .				
31. जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. रबी फसल की बोनी समाप्त है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	. .		(2) . .		
3. इन्दौर	. .				
4. महू (डॉ. अम्बेडकर नगर)	. .				
32. जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य प्रारंभ. खरीफ फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	. .		4. (1) ज्वार, मक्का, धान, बाजरा, कपास, मूँगफली, तुअर, गेहूँ, चना, अलसी, राई-सरसों समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. सेगांव	. .				
4. खरगौन	. .				
5. गोगावां	. .				
6. कसरावद	. .				
7. भगवानपुरा	. .				
8. भीकनगांव	. .				
9. झिरन्या	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
33. जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	. .		4. (1) गन्ना, मक्का, ज्वार,	6. संतोषप्रद,	8. . .
2. ठीकरी	. .		कपास समान.	चारा पर्याप्त.	
3. राजपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. सेंधवा	. .				
5. पानसेमल	. .				
6. पाटी	. .				
7. निवाली	. .				
34. जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. खण्डवा	. .		4. (1) गेहूँ, चना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पंधाना	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. हरसूद	. .				
35. जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	. .		4. (1) सोयाबीन, कपास सुधरी.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	. .				
36. जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. रबी की बोनी चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	. .		(2) समान.	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	. .				
4. ब्यावरा	. .				
5. सारंगपुर	. .				
6. पचोर	. .				
7. नरसिंहगढ़	. .				
37. जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. लटेरी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	. .		(2) समान.	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	. .				
4. बासोदा	. .				
5. नटेरन	. .				
6. विदिशा	. .				
7. गुलाबगंज	. .				
8. ग्यारसपुर	. .				
38. *जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. बैरसिया	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. हुजूर	. .		(2) . .		
39. जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोर	. .	बन्द है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. श्यामपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. आष्टा	. .				
4. जावरा	. .				
5. इछावर	. .				
6. नसरुल्लागंज	. .				
7. रेहटी	. .				
8. बुधनी	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40. जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. . .
2. गैरतगंज	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बेगमगंज	. .				
4. गोहरगंज	. .				
5. बरेली	. .				
6. सिलवानी	. .				
7. बाड़ी	. .				
8. उदयपुरा	. .				
41. जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. बोनी चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैंसदेही	. .	फसल, गेहूँ, चना, मसूर,	4. (1) गेहूँ, मसूर, चना सुधरी.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	. .	मटर, राई-सरसों की	(2) उपरोक्त फसलें सुधरी.	चारा पर्याप्त.	
3. शाहपुर	. .	कटाई का कार्य चालू है.			
4. चिचोली	. .				
5. बैतूल	. .				
6. मुलताई	. .				
7. आठनेर	. .				
8. आमला	. .				
42. *जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सिवनी-मालवा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. होशंगाबाद	. .		(2) . .		
3. बावई	. .				
4. इटारसी	. .				
5. सोहागपुर	. .				
6. पिपरिया	. .				
7. बनखेड़ी	. .				
8. पचमढ़ी	. .				
43. जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	. .		4. (1) गेहूँ, चना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. टिमरनी	. .				
44. जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य एवं बोनी	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोरा	. .	चालू है.	4. (1) गेहूँ, चना, मटर, मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाटन	. .		समान.	चारा पर्याप्त.	
3. जबलपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. मझोली	. .				
5. कुण्डमपुर	. .				
45. जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	. .	कार्य अंतिम स्थिति	4. (1) तुअर, ज्वार सुधरी.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. रीठी	. .	में है.	(2) उपरोक्त फसलें सुधरी.	चारा पर्याप्त.	
3. विजयराघौगढ़	. .				
4. बहोरीबंद	. .				
5. ढीमरखेड़ा	. .				
6. बरही	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46. जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू है एवं बोनी प्रारम्भ है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. करेली	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नरसिंहपुर	. .				
4. गोटेगांव	. .				
5. तेंदूखेड़ा	. .				
47. जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मटर, मसूर.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नैनपुर	. .				
4. मण्डला	. .				
5. घुघरी	. .				
6. नारायणगंज	. .				
48. *जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. डिण्डोरी	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. बजाग	. .		(2) . .		
3. शाहपुरा	. .				
49. जिला छिंदवाड़ा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिंदवाड़ा	. .		4. (1) मक्का, धान अधिक. सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	. .			चारा पर्याप्त.	
3. परासिया	. .		(2) . .		
4. तामिया	. .				
5. सोंसर	. .				
6. पांढुर्णा	. .				
7. अमरवाड़ा	. .				
8. चौरई	. .				
9. चाँद	. .				
10. बिछुआ	. .				
11. हर्रई	. .				
12. मोहखेड़ा	. .				
13. उमरेठ	. .				
50. जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. जुताई व खरीफ कीं कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	. .		4. (1) धान, ज्वार, कोदों-कुटकी, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग, मूँगफली, तिल, सोयाबीन, सन्, गन्ना.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	. .			चारा पर्याप्त.	
3. लखनादोन	. .				
4. बरघाट	. .				
5. कुरई	. .		(2) . .		
6. घंसोर	. .				
7. घनोरा	. .				
8. छपारा	. .				
51. जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बैहर	. .				
4. वारासिवनी	. .				
5. कटंगी	. .				
6. किरनापुर	. .				
7. खैरलांजी	. .				
8. लालबर्रा	. .				
9. परसवाड़ा	. .				
10. बिरसा	. .				

टीप.-*जिला नीमच, रतलाम, आगर, भोपाल, होशंगाबाद व डिण्डोरी से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

सुहेल अली,
आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(1272)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2017.